

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26 जून, 2008
संख्या-2/टी- 37 — /08- 1088(2) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निम्नांकित
चिकित्सा पदाधिकारी को पति-पत्नी के सरकारी सेवा में रहने पर एक ही जगह के लिए
अभ्यावेदनो पर विचारोपरान्त स्तंभ 4 में अंकित जिलो से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के
सम्मुख स्तंभ-5 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पदस्थापित जिला	नव पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5
1.	डा० अम्बिका प्रसाद सिंह	सहरसा	दरभंगा	मधुबनी
2.	डा० भारती लता सिन्हा	बक्सर	नालन्दा	पटना
3.	डा० राजीव कुमार	पटना	गोपालगंज	भोजपुर
4.	डा० पुष्पा सिंह	जहानाबाद	सारण	पटना
5.	डा० अरविन्द कुमार गुप्ता	सिवान	खगड़िया	सारण
6.	डा० (श्रीमती) प्रतिमा गुप्ता	सिवान	खगड़िया	सारण
7.	डा० प्रेम रंजन कुमार	बेगूसराय	अररिया	कटिहार
8.	डा० (श्रीमती) कनक रंजन	अररिया	पूर्णियाँ	कटिहार
9.	डा० ओम प्रकाश	पटना	भोजपुर	रोहतास
10.	डा० पुरुषोत्तम प्रसाद सिन्हा	खगड़िया	मुजफ्फरपुर	पटना
11.	डा० जीवेन्दु चौधरी	प० बंगाल	रोहतास	पटना
12.	डा० नवल किशोर साहू	दरभंगा	गोपालगंज	मधुबनी
13.	डा० अजय कुमार	पटना	रोहतास	पटना
14.	डा० विनोद प्रसाद सिन्हा	शेखपुरा	जमुई	नवादा
15.	डा० (श्रीमती) माला सिंहा	शेखपुरा	जमुई	नवादा
16.	डा० एम०पी० सिंह	औरंगाबाद	सीवान	सारण
17.	डा० (श्रीमती) नीला सिंह	भोजपुर	सीवान	सारण
18.	डा० (श्रीमती) माला श्रीवास्तव	सारण	भोजपुर	पटना
19.	डा० (श्रीमती) सुनीति सिन्हा	शिवहर	मुजफ्फरपुर	पटना
20.	डा०(श्रीमती) निभा मोहन	पलामू	नालन्दा	पटना

1088(2)
26/6/08

21.	डा० गंगेश झा	मधुबनी	बेगुसराय	दरभंगा
22.	डा० उषा किरण सिन्हा	पटना	नवादा	वैशाली
23.	डा० सरोज कुमार	पटना	नवादा	वैशाली
24.	डा० गिरधारी लाल	पटना	समस्तीपुर	नालन्दा
25.	डा० प्रतीमा	पटना	समस्तीपुर	नालन्दा
26.	डा० सोनी सिन्हा	जहानाबाद	नालन्दा	पटना (नेत्र रोग, प्रति० राजेन्द्र नगर अस्पताल)
27.	डा० विनय कुमार चौधरी	बेगुसराय	औरंगाबाद	पटना
28.	डा० किरण	बेगुसराय	औरंगाबाद	पटना
29.	डा० आर० एन० कमार	मधेपुरा	कटिहार	पूर्णियाँ
30.	डा० (श्रीमती) आरती ठाकुर	गोड्डा	भागलपुर	बाँका
31.	डा० अमय प्रकाश चौधरी	गोड्डा	भागलपुर	बाँका
32.	डा० विन्देश्वर शर्मा	मुजफ्फरपुर	सीतामढ़ी	पू० चम्पारण
33.	डा० (श्रीमती) मीरा वाजपेयी	जमुई	भोजपुर	पटना

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं जिलों को सौंपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी ।

2. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।

3. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

4. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।

5. चूंकि इनका पदस्थापन अभ्यावेदन के आधार पर हो रहा है इसलिए यात्रा भत्ता नहीं देय होगा ।

1088(2)
26/6/08

6. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 1088(2)

पटना, दिनांक 26-6-08

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वे0दा10नि0को0) विभाग, पन्त भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग/ महानिरीक्षक अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य/राज्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक/ विभाग के सभी पदाधिकारी/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, 2/3/9 एवं कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।